

①

Dr. Honey Sinha  
(Assistant Professor)  
Dept of Commerce  
Sub:- Business Organisation (Subsidiary)  
B.Com Part-1st, Paper:- 1st  
SNSRKS College AHARSA

Lecture: 37

B.Com Part-1st

Sub:- Business Organisation  
(Subsidiary)

\* Introduction

\* Need and Importance of Management in India  
(भारत में प्रबन्ध की आवश्यकता एवं महत्व)

भारत एक विकासशील देश है। प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों की दृष्टि से यह एक धनी राष्ट्र है। यदि देश के हित में विद्यमान इन साधनों का उपयोग किया जाए तो देश को ग्रीष्म ही विकसित राष्ट्रों की कक्षा में लाकर रखा किया जा सकता है। देश में पंच-वर्षीय योजनाओं के माध्यम से एक समाजवादी समाज की रचना करने का बीड़ा हमारी सरकार ने उठाया है। देश का द्रुत बसि से आर्थिक विकास करने के लिये आवश्यक एवं मारी उद्योगों की स्थापना की गई है। देश में हरित-क्रान्ति के क्षेत्र में विस्तार करने हेतु कई संघनन कृषि कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं।

हमारा देश ज्ञान पिढान के क्षेत्र में भी किम-दुनी, रात चोगुनी उन्नति कर रहा है इतना होते हुए भी हम अपना वांछित स्तरों पर आर्थिक विकास नहीं कर पाये हैं इनके कई कारण हैं। हमारी जनसंख्या में तेजी निरंतर वृद्धि हो रही है। ग्राम-पूजी के विवाह आये दिन होते रहते हैं। कास्वानों में हड़ताल एवं तावाबन्की तो एक आम बात हो गई है। हमारे यहाँ उत्पादन की लागत में बड़ा ही अपव्यय होता है। विभिन्न उत्पादकों एवं निर्माताओं में असहयोग है तथा व्यवसाय का संगठन बड़ा ही दुर्बल, अपर्याप्त एवं असंतोषजनक है। हमारी उत्पादन सामग्री निम्न स्तर की है। औद्योगिक अनुसंधान का अभाव है तथा देश में अप्रचलित विपणन विधियों का बोलबाला है। हमारा

कारी अपने कामिल को माली प्रकार निमा सके, इसलिये उसे अधिकार प्रदान किये जाते हैं।

(10) व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हित की अधीनता (Subordination of Individual Interest to General Interest) :- इस सिद्धान्त के अनुसार व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों की प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

(11) केन्द्रीकरण (Centralisation) :- इसके अन्तर् यह व्यवस्था रहती है कि शक्ति की योग्यताओं का अधिकतम लाभ उठाने के लिये केन्द्रीकरण किस अनुकूलतम स्तर तक रखा जाय।

(12) निर्देश की समानता (Unity of Direction) :- कार्य को सुचारु रूप में चलाने के लिये यह आवश्यक है कि निर्देशन की समानता हो।

(13) न्याय (Equity) :- कर्मचारियों में भेदभाव करने के स्थान पर न्याय के प्राथमिक सिद्धान्तों का पालन किया जाना चाहिए।

(14) सहयोग (Espirit de Corps) :- सफलता प्राप्त करने हेतु सहयोग की भावना से काम किया जाना चाहिए। 'फूट डालो और राज करो' के स्थान पर एकता की भावना पर बल दिया जाना चाहिए। 'फैरोल के तसाधनों के सिद्धान्त की उपरोक्त सूची बिल्कुल सही तथा व्यापक है।

The end

Dr. Honey Singh  
(Assistant Professor)  
Dept. of Commerce  
GNSRKS College,  
SAMARSA

(3)

(5) कर्मचारियों में स्थायित्व का होना (Stability of Tenure Personnel) :- प्रशासन की दृष्टि से कर्मचारियों को नियत-प्राप्ति बटवला जाना सर्वथा अहितकर रहता है। ऐसा करने से असफलता का सामना करना पड़ता है, अतः कर्मचारियों में स्थायित्व का होना नितान्त आवश्यक है।

(6) कर्मचारियों को प्रेरणा (Initiative) :- कर्मचारियों को उचित प्रेरणा देने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वे नयी-नयी योजनाएँ प्रस्तुत कर सकें तथा उन्हें सफल बनाने में अपना सर्वस्व न्यौंटाकर कर सकें।

(7) कर्मचारियों को पारिश्रमिक (Remuneration of Personnel) :- किये गये कार्य के लिये कर्मचारियों को पारिश्रमिक इस प्रकार दिया जाना चाहिए, जिससे कि नियोक्ता तथा कर्मचारी दोनों को ही सन्तोष का अनुभव हो। आधुनिक व्यावसायिक प्रगत में कर्मचारियों को पारिश्रमिक देने की अनेक पद्धतियाँ प्रचलित हैं। व्यवसाय की प्रकृति, कर्मचारियों के गुण तथा विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार कर्मचारियों को पारिश्रमिक देने की किसी भी ऐसी विधि को अपनाना चाहिए, जिससे दोनों को लाभ हो।

(8) प्रबन्ध की एकता (Unity of Management) :- प्रबन्ध में एकता होनी चाहिए इसके लिये यह आवश्यक है कि एक ही उद्योग की समान बह्य वाली विभिन्न क्रियाओं को जहाँ तक सम्भव हो, एक ही प्रबन्ध के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए, ताकि उनके कार्यों का समन्वय किया जा सके।

(9) अधिकार तथा दायित्व (Authority and Responsibility) :- अधिकार के साथ-साथ दायित्व भी रहना है। अधिकार

- (10) न्यूनतम शक्तों से अधिकतम परिणामों की प्राप्ति के लिये।
- (11) भ्रम-समस्याओं का संतोषजनक ढंग से समाधान करने के लिये।
- (12) निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये - निर्धारित करो या समाप्त हो जाओ के नारे को क्रियान्वित करने के लिये।
- (13) वैज्ञानिक एवं तकनीकी परिवर्तनों को शीघ्रता एवं प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये।
- (14) व्यक्तियों के विकास के लिये।
- (15) आधारभूत औद्योगिक सुविधाओं (शक्ति, संचार साधन, परिवहन, औद्योगिकी, पानी आदि) की व्यवस्था करने के लिये।
- (16) रोजगार के साधनों में वृद्धि करने के लिये तथा
- (17) 21 वीं शताब्दी में प्रवेश करने हेतु तैयार करने के लिये।
- (18) अधिकारी तथा अधीनस्थों में मधुर सम्बन्धों की स्थापना के लिये।
- (19) देश में सन्तुष्टि एवं चहुँमुखी प्रगति करने के लिये तथा
- (20) औद्योगिक प्रजातन्त्र की स्थापना करने के लिये।

The end

Dr. HONEY SINHA  
(Assistant Professor)  
Dept. of Commerce  
Shri Business Organisation  
(Subsidiary)  
B.Com Part 1st  
Laxmi  
SNSRKS College, SAHARPUR